

मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम,
कार्मिक विभाग, मुख्यालय,
भोपाल

क्रमांक/लउनि/कार्मि/न.क्र.463/2024/ 439

भोपाल दिनांक...31/7/2024

विज्ञापन

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 8-2/2013/आ.प्र./एक, दिनांक 04 जनवरी 2024 में निहित निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत सभी वर्गों के दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति "Walk-in-interview के माध्यम से दिव्यांगजनों के निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति निर्धारित योग्यता रखने वाले अर्हताधारी मध्यप्रदेश के मूल निवासी, रोजगार कार्यालय में पंजीकृत दिव्यांगजन आवेदको से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन- पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. दिव्यांगजनों के पदों का विवरण:-

क्रं.	पद का नाम	दिव्यांगजनों के विकलांगता की श्रेणी				योग
		दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%) चिन्हांकित पद	बहरे और कम सुनने वाले(1.5%) चिन्हांकित पद	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है , सेरेब्रल पाल्सी , कुष्ठ रोग मुक्त , बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित , मस्कुलर डिस्ट्राफी(1.5%) चिन्हांकित पद	ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता ,स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%) चिन्हांकित पद	
1	सहायक ग्रेड-3	SC (01)	OBC (01)	ST (01)	OBC (01)	04
2	भृत्य (चतुर्थ श्रेणी)	SC (01)	ST (02)	SC (01)	OBC (02)	06

2. पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा (दिनांक 01 जनवरी 2024 की स्थिति में)

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

क्र.	भर्ती का तरीका	
1.	अनु.जा./अनु.जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/दिव्यांगजन/ महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए	18 से 45 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)

3. पदनाम, वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता:-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता
1	सहायक ग्रेड-3	लेवल-4(रू. 5200-20200+1900 ग्रेड पे)	10+2 माध्यमिक शिक्षा मण्डल बोर्ड से उत्तीर्ण, हिन्दी/अंग्रेजी टाइपिंग उत्तीर्ण Knowledge of Computer Application/Internet/Browsing Surfing Compulsory
2	भृत्य (चतुर्थ श्रेणी)	लेवल-1 (रू. 4440-7440+1300 ग्रेड पे)	8वीं उत्तीर्ण,

4. आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशित दिनांक से 01 माह के भीतर कार्यालयीन समय में प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित, द्वितीय तल, भोपाल में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन- पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा या स्वयं द्वारा उपस्थित होकर इस कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक में विलंब के लिये निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

5. आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शैक्षणिक योग्यता, शर्तें तथा आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश निगम की वेबसाइट <http://mplun.mpmsme.gov.in> या निगम के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

6. आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश:-

- (1) सेवा में वेतन संबंधित शर्तों में किसी भी समय शासन नीतियों एवं निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है तथा अधिसूचित पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- (2) अपूर्ण एवं गलत भरे गये आवेदन-पत्रों को निरस्त कर दिया जावेगा।
- (3) पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्तियों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा तत्पश्चात् मेरिट के आधार पर साक्षात्कार हेतु निगम द्वारा निर्धारित संख्या में पृथक से आवेदकों को आमंत्रित किया जावेगा।
- (4) आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।

- (5) आवेदक का मध्यप्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।
- (6) आयु सीमा-18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थित में किसी भी प्रवर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (7) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण करता है। कृपया ऐसे आवेदक आवेदन न करे जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए हो लेकिन उनका परीक्षा परिणाम आवेदन करने की तिथि तक घोषित न हुआ हो।
- (8) साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को शासन के नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
- (9) चयन के लिए किसी भी स्तर पर अथवा चयन के पश्चात् भी आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी एवं चयन निरस्त किया जावेगा।
- (10) जिस आवेदक की दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु कोई भी आवेदक जिसकी पहले से एक से अधिक संतानों का जन्म होता है, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित नहीं होगा।
- (11) शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्था/कार्यालयों में कार्यरत आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र नियुक्तिकर्ता अधिकारी के माध्यम से भेजे, सीधे प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (12) आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जाता है तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बगैर आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
- (13) बिना किसी पूर्व सूचना के चयन प्रक्रिया को स्थगित अथवा निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल के पास रहेगा। चयन/नियुक्त में प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।
- (14) आवेदक को इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र ए-4 साईज पेपर पर कम्प्यूटर मुद्रित या टाईप कराया जाये तथा उसकी समस्त प्रविष्टियां हस्तलिपि में करे एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें। निर्धारित स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटोग्राफ चस्पा करें।

- (15) आवेदक लिफाफे पर अपना पूरा नाम तथा पता जैसा कि उसने आवेदन-पत्र में लिखा है स्पष्ट लिखे आवेदन पत्र पर लिफाफे में सील बंद कर लिफाफे के उपर "..... पद हेतु आवेदन" अंकित करे।
- (16) आवेदन-पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थाई जाति, मूल, निवासी, जन्म तिथि श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विकलांग) आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंक सूची/अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न की जाये।
- (17) दिव्यांगजनों के आवेदको को शासन द्वारा निर्धारित चिकित्सा मंडल/चिकित्सक/दिव्यांगजनों के विशेषज्ञ रोजगार कार्यालय एवं पुनर्वास कार्यालय के साथ संबद्ध मेडिकल बोड द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (18) नियत अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माने जायेंगे तथा निगम अभ्यर्थी को कोई लिखित जानकारी देने का उत्तरदायी नहीं होगा।
- (19) दिव्यांगजनों के आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही वे वास्तव में विकलांग है जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
- (20) दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाई जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
- (21) मूक बधिर श्रेणी के दिव्यांगजनों की शासकीय भर्ती के पूर्व मेडिकल बोर्ड में बैरा टेस्ट (Bera Test) अनिवार्य होगा।
- (22) पूर्व से जारी किये गये निःशक्तता प्रमाण-पत्र का परीक्षण संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से कराने के पश्चात ही दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
- (23) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ), मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट), दिनांक 03/07/2018 में सेवाओं एवं पदों में आरक्षण के लिये दिव्यांगजनों की परिभाषित श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही चयनोपरान्त नियुक्ति की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के संबंध में शासन द्वारा वर्तमान एवं समय-समय पर जारी नियम/निर्देशों के अनुरूप ही चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही निगम द्वारा की जावेगी।

(आर.के.रायकवार)


प्र. मुख्य महाप्रबंधक(कार्मिक)

प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित

// विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजन आवेदकों के लिये आवेदन-पत्र प्रारूप //

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म.प्र. लघु उद्योग निगम मयादित,
द्वितीय तल, पंचानन भवन,
टी.टी. नगर, भोपाल



.....पद के लिए आवेदन पत्र(आवेदित पद का नाम)

1	आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में)	
	आवेदक/आवेदिका का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	
2	लिंग -पुरुष/महिला	
3	पिता/पति का नाम	
4	(अ)वर्तमान निवास का पता (हिन्दी में पिन कोड)	
	(ब) स्थाई निवास का पूर्ण पता (हिन्दी में पिन कोड)	
5	(अ) जन्म तिथि (अंको में) (आठवीं/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी प्रमाण- पत्र के आधार पर स्व- प्रमाणित प्रति संलग्न करे)	वर्ष.....माह.....दिन.....
	(ब) जन्म तिथि (शब्दों में)	
	(स) दिनांक 01/07/2024 की स्थिति में आयु	
	(द) जन्म स्थान (जिले/राज्य का नाम लिखें)	
6	आधार कार्ड नम्बर एवं मोबाईल नम्बर	

7	क्या आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी है? हों या नहीं (प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)	
8	क्या आवेदक मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश के लिये घोषित एवं मान्य अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ज वर्ग, वर्ग का सदस्य है, यदि हों तो जाति/उप जाति का उल्लेख करें। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित, छाया प्रति संलग्न करे अस्थाई जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा)	
9	क्या आवेदक निःशक्त/विकलांग है? हों/नहीं (स्व-प्रमाणित प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)	
10	सहायक ग्रेड-3 (तृतीय श्रेणी) के पद हेतु विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत (दिव्यांगजनें की श्रेणी- ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगत, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता)	
11	भृत्य(चतुर्थ श्रेणी) के पद हेतु विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत (दिव्यांगजनें की श्रेणी- ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगत, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता)	
12	रोजगार कार्यालय का नाम, पंजीयन क्रमांक व दिनांक	
13	वैवाहिक स्थिति- (अ) क्या आप विवाहित हैं- हों/नहीं (ब) यदि हों तो विवाह की तिथि (स) विवाह के समय आयु (द) जीवित बच्चों की संख्या (ई) अंतिम बच्चे का जन्म दिनांक (फ) 26 जनवरी 2001 के बाद जन्में बच्चों की संख्या	
14	शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/कार्यालयों में कार्यरत आवेदनकर्ता अवधि का पूर्ण विवरण प्रमाण-पत्र सहित देवे	

15	शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यतायें (प्रमाण- पत्रों की स्व प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करें)					
क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	पूर्णांक/प्राप्तांक	प्राप्ताकों का प्रतिशत
1						
2						
3						
4						
5						

16. संलग्न स्व-प्रमाणित प्रमाण- पत्रों की कुल संख्या-

संलग्न

दिनांक.....

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर
एवं पूरा नाम

::- स्व घोषणा :-

मैं.....पुत्र/पुत्रीश्री.....

उम्र.....वर्ष.....निवासी.....जिला.....

.....मध्य प्रदेश एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है। मैंने उसमें कुछ भी छुपाया नहीं है। मुझे यह संज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभों को वापस किया जावेगा।

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर
एवं पूरा नाम